



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 2018/चैत्र 28, 1940

No. 1509]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 2018/CHAITRA 28, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

का.आ. 1663(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी सार्वजनिक सेवा यान को तारीख 1 अप्रैल, 2019 तक, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ज के लागू होने से (यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और एक या अधिक आपात बटनों से सज्जित होने या फिट होने से), एतद्वारा छूट प्रदान करती है।

[सं.आर.टी-11028/12/2015-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2018.

S.O. 1663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts all public service vehicles from the provisions of rule 125H of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (of equipped with or fitted with vehicle location tracking device and one or more emergency buttons) upto the 1st day of April, 2019.

[No. RT-11028/12/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.